

स्वामी/प्रबन्धक,

**Shri Guru Ram Rai Public School,
Tilani, District-Rudraprayag.**

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी **Annual Clearance** अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर-65828786 दिनांक: 27.04.2025 जो कि **Uttarakhand Fire And Emergency Services** के वेबसाइट पर प्राप्त हुआ है के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन, रुद्रप्रयाग द्वारा किया गया, प्रभारी फायर स्टेशन, रुद्रप्रयाग की निरीक्षण आख्या दिनांक: 08.05.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी, समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 13 मई, 2025 से 12 मई, 2028 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निम्न बिन्दुओं के अनुपालन के दृष्टिगत सशर्त जारी किया जाता है।

- 1.सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखा जाये।
- 2.आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (**Evacuation**) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- 3.सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4.भवन/संस्थान में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया के निर्माण **Land Use Change** में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाय।
- 5.इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र की उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- 6.संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा **प्रमाण-पत्र/ Self Declaration Certificate** प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
- 7.यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 8.संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी. 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (**Update**) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है। स्वामी/प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप पालन न किये जाने पर प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


(राजेन्द्र सिंह खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।